

न्यायालय श्री पुरुषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 56/2005 (आरसीएमएस संख्या : 2005/00045)
सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला-जयपुर।

वनाम

प्रार्थी,

1. हरिशंकर पुत्र श्री जगदीश, जाति-ब्राह्मण, निवासी-मकान नं0-29, गणेश विहार कालोनी, मुकन्दपुरा रोड, भांकरोटा, जयपुर।
2. रामेश्वर पुत्र श्री जगदीश, जाति-ब्राह्मण, निवासी-कासेल, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
3. नारायण पुत्र श्री जगदीश, जाति-ब्राह्मण, निवासी-कासेल, तहसील-फागी, जिला-जयपुर। (मृतक)
3/1 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री नारायण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-कासेल, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
3/2 राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री नारायण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-कासेल, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
3/3 लाली पत्नी श्री चिरंजीलाल पुत्री स्व0 श्री नारायण, जाति-ब्राह्मण, निवासी-शेरपुरा, तहसील-फागी, जिला-जयपुर।
4. गोपाल पुत्र श्री जगदीश, जाति-ब्राह्मण, निवासी-मकान नं0-डी 129, जगदम्या नगर, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर।
5. रतन पुत्र श्री जगदीश, जाति-ब्राह्मण, निवासी-कासेल, तह0-फागी, जिला-जयपुर।
अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 18.09.2019

2

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-कांसेल की आराजी खसरा नं0 1120 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आ0ख0नं0 1129 रकबा 1 बीघा 06 कुल कित्ता 2 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह सेवायक पुजारी श्रीनारायण वल्द जानकीलाल, जाति-ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त अतिरिक्त खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह सेवायक पुजारी श्रीनारायण वल्द जानकीलाल, जाति-ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त के बजाय पुजारी



श्रीनारायण पुत्र जानकीलाल के नाम दर्ज हो गई तत्पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण होकर जमाबन्दी सम्वत् 2055-2058 में हरिशंकर वर्मासह के नाम दर्ज है जो पुनः माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह खुदकाशत के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेंस प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण वावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेशेकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेशेकार सरकार ने रेफरेंस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 के कॉलम सं० 04 नाम उपभोक्ता पिता का नाम जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह सेवायक पुजारी श्रीनारायण वल्द जानकीलाल, जाति-ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम सं० 05 नाम कृषक पिता का नाम जाति व निवास स्थान श्रेणी कृषक व कृषि काल में खुदकाशत दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये सेवायक पुजारी श्रीनारायण के नाम दर्ज की गई है तत्पश्चात् विरासत नामान्तरकरण के फलस्वरूप अप्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2055-2058 में दर्ज है जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काशत करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काशत पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह खुदकाशत के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पेशेकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011-2030 में माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह सेवायक पुजारी श्रीनारायण वल्द जानकीलाल, जाति-ब्राह्मण साकिन देह खुदकाशत दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान



काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत नावालिग माना गया है और नावालिग मूर्ति के स्वाभित्त्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नावालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी द्वारा भी काश्त की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाविज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह सेवायक पुजारी श्रीनारायण वल्द जानकीलाल, जाति-ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काश्त भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह खुदकाश्त दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काविज-काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह सेवायक पुजारी श्रीनारायण वल्द जानकीलाल, जाति-ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमावन्दी सम्वत् 2055-2058 में निजी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 25.01.1974 एवं नामान्तरकरण संख्या 214 दिनांक 21.05.1981 वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री हनुमान जी वाके देह खुदकाश्त के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकारों को दिनांक 13.11.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।



निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
अति. कलेक्टर (द्वितीय)
जयपुर